CASE No:- 2019/00093

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

हीरालाल पुत्र चुनाराम **बनाम** सरकार

किस्म मुकदमा :– अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

नं. 86 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.06.2019	आज यह पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर से उनके पत्रांक 4002 दिनांक 13.11.2018 के संलग्न प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र जमाबंदी की छायाप्रति आधार कार्ड की छायाप्रति परिचय पत्र निर्वाचन एवं राशन कार्ड की छायाप्रति के संलग्न प्राप्त होने पर मूरतीब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्रमा भानीपुरा सम्वत 2071 – 74 के खाता संख्या 205 में प्रार्थी का नाम खसरा नम्बर 154 व 180 में हीराराम पुत्र चुनाराम दर्ज है। प्रार्थी अपना शुद्ध नाम हीरालाल पुत्र चुनाराम दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन परिचय पत्र की छायाप्रतियां पेश की है। इन सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम हीरालाल पुत्र चुनाराम अंकित है। पटवारी व गिरदावर हल्का द्वारा प्रार्थी का नाम हीराराम के स्थान पर हीरालाल दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की है। अतः तहसीलदार लूनकरनसर की सिफारिश व प्रस्तुत रिकार्ड से यह साबित होता हैं कि प्रार्थी का वास्तविक नाम हीरालाल ही है। अतः एलआरएक्ट 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिए जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 205 के खसरा नम्बर 154 व 180 की तादादी 13.40 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम हीराराम के स्थान पर हीरालाल दुरूस्त कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। इस आदेश की प्रमाणित प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित की जावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (शिवपाल जाट) उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर	

Scanned by CamScanner